न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–88/2022

बसंत शर्मा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरिनारायण शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
14.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 13.06.2024 संबंधित आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 और धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 14.05.2025 को पेश किया गया। उभय पक्षों को वादीगण के आवेदन दिनांक 13.06.2024 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज **आदेश (ORDER)** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।	
पश्चात् **14.05.2025**	वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उपरोक्त के मुदालहम सं0–02 रामु शर्मा अपने पीछे अपनी जौजा और दो संतान को छोड़कर 27.02.2024 को मर गए है। अर्जी नालिस में मुदालह सं0–02 का नाम कलमजद कर उनके विधिक वारिसानों का नाम जोड़ना आवश्यक है। प्रतिस्थापना आवेदन से मुदालह को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि निम्न प्रस्तावित प्रतिस्थापना को स्वीकृत करते हुए प्रतिस्थापित करने का आदेश देने की कृपा करे। अर्जी नालिश में मुदालह सं0–02 का नाम कलमजद करते हुए उनके स्थान पर उनकी जौजा मालती देवी, पति स्व0 रामु शर्मा अंकित कर दिया जाए एवं मुदालह सं0–02 के नीचे 2(क) धर्मेन्द्र शर्मा, 2(ख) भुटेली शर्मा दोनों के पिता– स्व0 रामु शर्मा अंकित कर दिया जाए। इसके लिए	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–88/2022

बसंत शर्मा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरिनारायण शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 14.05.2025	वादीगण श्रीमान् का सदा आभारी रहेगा। प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के आवेदन दिनांक 13.06.2024 का प्रत्युत्तर 09.08.2024 को दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया कि मुदईयान ने दिनांक 13.06.2024 को जो आवेदन दिया था, वह आवेदन पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। मुदईयान का आवेदन कानून एवं तथ्यों की दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत और आधारहीन है जो खारिज होने योग्य है। मुदईयान का कहना है कि मुदालह सं0–02 की मृत्यु दिनांक 27.02.2024 को हुई है एवं मुदईयान का आवेदन दिनांक 13.06.2024 को श्रीमान् के न्यायालय में विलम्ब से दाखिल किया गया है एवं विलम्ब का कारण मुदईयान के द्वारा नहीं दिया गया है। इस आधार पर भी मुदईयान का आवेदन खारिज होने योग्य है। मुदईयान को समयानुसार आवेदन देना अति आवश्यक था लेकिन मुदईयान ने जानबुझकर उपरोक्त आवेदन समयानुसार दाखिल नहीं किया एवं विलम्ब से दाखिल किया गया है। इस आधार पर भी मुदईयान का आवेदन खारिज होने योग्य है। मुदईयान ने अपने आवेदन के मुदालह नं0–02 के वारिसानों का जो नाम दिया है वह सत्य है लेकिन उनलोगों का पता नहीं दिया गया है। जबतक उनलोगों का पूर्ण रूप से पता मुदईयान नहीं देते है, यह आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए मुदईयान के आवेदन को विशेष खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा किया जाय। इसके लिए मुदालहम श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगे। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के मुदालहम सं0–02 रामु शर्मा की मृत्यु दिनांक 27.02.2024 को हो गई, जिसके सम्बन्ध में	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–88/2022

बसंत शर्मा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरिनारायण शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 14.05.2025	वादी फउद शर्मा द्वारा सत्यापन एवं शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 13.06.2024 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अन्दर वह वादपत्र से मृत मुदालहम सं0–02 रामु शर्मा का नाम कलमजद करें और उनके विधिक वासिसानों का नाम प्रतिस्थापित करे। आगामी दिनांक 16.06.2025 वास्ते उपस्थिति एवं मुदालहम सं0–02 रामु शर्मा का नाम कलमजद करने और उनके विधिक वासिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने वास्ते नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	